न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाडा

बजरिये श्री बलवन्तसिंह लिग़ी आर.ए.एस.

लोक अदालत"न्याय आपके द्वार केम्प–आसीन्द

प्रकरण संख्या 284/2013

अनवान

1–मैनादेवी पत्नि मोतीलाल रेगर निवासी जयसिहपुरा तहसील बदनोर जिला–भीलवाडा।

–वादीया

बनाम

1–माणकचन्द पिता किशना गंवारिया निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला–भीलवाडा।
2–भैरू पिता घीसा ढोली निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला–भीलवाडा।
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188, राज0 काश्तकारी अधिनियम

निर्णय ::

दिनांक–14.07.2017

उपस्थितिः–श्री पदमसिह देथा–अधिवक्ता–वादीया
उपस्थितिः–श्री दौलतराज नागोडा–अधिवक्ता–प्रतिवादी–1

वादीया द्वारा वाद–पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द के आराजी नम्बर 3714 रकबा 0.43 है0 व आराजी नम्बंर 3781 रकबा 0.07 है0 मे से प्रतिवादी संख्या 02 के हिस्से 1/2 मे से 0.07 है0 भूमि जरिये पंजिकृत बेचाननामा तादादी 300000/–रू. में खरीदकर मालिकाना हक प्राप्त कर लिया तथा उक्त बैचान नामें के अनुसार जरिये इन्तकाल संख्या 2349 दिनांक 20.12.2011 को वादिया के हक में खातेदारी का खोल दिया गया तथा वादिया उपरौक्त आराजी में 0.07 है0 में खातेदारी के रूप में हक व अधिकार प्राप्त कर लिया। तथा प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा न्यायालय में भूमि बंटवारा कराने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार पटवारी द्वारा प्राथमिक डिकी बनायी गयी उक्त के आधार पर न्यायालय द्वारा आराजीयात के विभाजन हेतु अंन्तिम डिकी प्रदान की गयी जिसके आधार पर वादिया का आराजी नम्बंर 3714 रकबा 0.43 है0 मे से 0.035 है0 एंव आराजी नम्बंर 3781 रकबा 0.07 है0 मे से 0.035 है0 हिस्सा निहित हो गया जिसे पटवारी द्वारा अलग से बटा नम्बंर कायम कर नक्शे में तरमीम नही किया गया। इसी प्रकार आराजी नम्बंर 3714 रकबा 0.43 है0 मे से वादिया के हक में बंटवारा के बाद कोई अलग से बटा नम्बंर कायम नही किये जाने से आज भी सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 के ही नाम दर्ज चला आ रहा है। इस बिनाय पर वादिया विरूद्व प्रतिवादी संख्या 02 के आराजी नम्बंर 3714 मी. रकबा 0.035 है0 को अपने नाम दर्ज करवाने तथा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारीणी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 02, व 03 बावजूद सूचना के भी गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिकार पत्र मय जवाब श्री दुधाराम कुमावत द्वारा पेश कर वाद पत्र में वर्णित कथनो को अस्वीकार करतेइ हुए कथन किया की वादिया प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है क्यो की वादग्रस्त आराजी की वादिया खातेदार नही है। ना ही वादग्रस्त आराजी पर वादिया का किसी प्रकार का कब्जा है। वादग्रस्त आराजी नम्बंर 3781 रकबा 0.07 है0 भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार जवाबदाता है तथा 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी संख्या 02 है तथा इसी हक हिस्से अनुसार न्यायालय आप द्वारा जरिये विभाजन की डिकी पारित होकर उक्त रकबा अलग अलग दर्ज होकर नक्शे में भी अपने अपने कब्जे अनुसार जवाबदाता व प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

निरन्तर–2

Scanned by CamScanner

होकर तरमीम हो चुका है। जवाबदाता के हिस्से में आयी आराजी नम्बंर 3781 मी. रकबा 0.035 है0 भूमि का नियमानुसार दिनांक 28.10.2013 को नगरपालिका आसीन्द से आवासिय संमपरिवर्तन के आदेश होकर नामान्तरकरण संख्या 2875 दिनांक 14.11.2013 को उक्त भूमि नगरपालिका आसीन्द के नाम दर्ज हो गयी जिसको जवाबदाता आज आवासिय उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा है। इस संबंध में नगरपालिका अधिनियम के नियम 22, 23, 24 के अन्तर्गत जवाबदाता के नाम से 54939/–रू. पत्रावली शूल्क वाह्य निकाय शूल्क, प्रीमीयम एक मुश्त लीज राशि दिनांक 12.11.2013 को जमा करवायी गयी इस प्रकार वादिया का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का स्वंतः हक अधिकार नही होने से वादिया का वाद खारीज फरमाया जावे।

तथा प्रकरण में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराज नागोडा ने पावर मय प्रा.पत्र आदेश–7 नियम 11 व स.प. धारा 151 जा.दी का पेश कर निवेदन किया की वादग्रस्त आराजी नम्बंर 3781 रकबा 0.07 है0 का होकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वतः 2068 से 2071 तक में नामान्तरकरण संख्या 2388 दिनांक 06.02.2012 बैचान से शिवा , बालू, मुरली पिता भगवती 1/2 के बजाय माणकचन्द पिता किशना गुवारिया के नाम दर्ज हुआ। तथा खातेदार माणकचन्द पिता किशना गुवारिया ने वादग्रस्त आराजीयात आरासजी नम्बंर 3781 रकबा 0.035 है0 भूमि का रूपान्तरण गैरकृर्षि प्रयोजनार्थ होकर नामान्तरकरण संख्या 2875 दिनांक 14.11.2013 से उक्त आराजी नगरपालिका आसीन्द के नाम दर्ज हुयी ओर विपक्षी/प्रतिवादी ने आवासीय पटटा जारी करने के लिये नगरपालिका आसीन्द में रसीद संख्या 26 से राशि 54939/–रू. जमा कराये तथा उक्त भूमि का रूपान्तरण गैरकृर्षि प्रयोजनार्थ होकर नगरपालिका आसीन्द के नाम दर्ज होने व कृर्षि आराजीयात नही रहने से माननीय न्यायालय को सुनवायी का अधिकार नही होने से वाद चलने योग्य नही होकर खारीज किया जावे।

तद्पश्चात पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दोराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में उभयपक्ष को सूना वकील वादिया द्वारा प्रा.पत्र में जवाब पेश नही करने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रा.पत्र पर वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की बहस सूनी गयी जिससे जाहिर आया की उपरोक्त विवादित आराजी नम्बंर 3781 मी. रकबा 0.035 है0 भूमि जो नगरपालिका आसीन्द द्वारा कृर्षि से गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने प्ररूप–4 आदि व उक्त आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होकर नगरपालिका आसीन्द द्वारा दिनांक 12.11.2013 को पटटा जारी होना प्रकट आया है। तथा जमाबन्दी सम्वतः 2068 से 2071 के अवलोकन से जाहिर आया की उपरोक्त विवादित आराजी नम्बंर 3781 मी. रकबा 0.035 है0 भूमि जरिये इन्तकाल नम्बंर 2875 दिनांक 14.11.2013 से आवासीय संपरिवर्तन से नगरपालिका आसीन्द के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। तथा उक्त विवादित आराजीयात मौके पर अकृर्षि भूमि होकर आबादी दर्ज है। तथा उक्त वादपत्र में वादीया द्वारा इस आराजी पर कास्त किये जाने बाबत ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जिससे यह प्रकट हो की विवादित भूमि पर कास्त की जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) के अनुसार आबादी भूमि को भूमि की परिभाषा में कृर्षि भूमि नही माना गया है। समग्र विवेचन पश्चात विवादित आराजीयात आबादी भूमि दर्ज रेकार्ड होने से वादीया द्वारा चाही गयी दादरसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने व वाद पत्र विधि विरूद्व होने से प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

◀ आदेश ▶

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दपतर करे। निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को केम्प आसीन्द पर लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

(बलवन्तसिहं लिग्गी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे अन्तिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द बईजलास बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस.

लोक अदालत "न्याय आपके द्वार केम्प–आसीन्द

प्रकरण संख्या 284/2013

अनवान

1–मैनादेवी पत्नि मोतीलाल रेगर निवासी जयसिहपुरा तहसील बदनोर जिला–भीलवाडा।

–वादीया

बनाम

1–माणकचन्द पिता किशना गंवारिया निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला–भीलवाडा।

2–भैरू पिता घीसा ढोली निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला–भीलवाडा।

3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द तहसील आसीन्द।

सहायक कलक्टर, आसीन्द (भीलवाडा) लोक अदालत-2017

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीया की और से एडवोकेट श्री पदमसिह देथा एंव प्रतिवादीण की और से एडवोकेट श्री दौलतराज नागोडा की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 14.07.2017 को लोक अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है, और अन्तिम डिकी दी जाती है कि:–

–::दावा वादीया का वाद खारीज किया जाता है::–

इसके वाद के खर्चे लेखे-xxx-रूपये की राशि आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर-xxx-प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित-xxx-द्वारा-xxx-को दी जावे।

यह डिकी पर्चा आज दिनांक 14.07.2017 को मेरें हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर, आसीन्द (भीलवाडा) लोक अदालत-2017

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
आसीन्द (भीलवाडा)
लोक अदालत-2017

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	02	–
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	04	–	प्लीडर की फीस	–	–
4.रूपयें पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	04	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	12	–	योग	04	–

Scanned by CamScanner